रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2007/ज्येष्ठ 18, 1929
No. 700] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2007/JYAISTHA 18, 1929

IndiaCode

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2007

का.आ. 941(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस निमित्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को प्राप्त करने के पश्चात्, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना के लिए उद्यमी ज्ञापन के लिए फार्मेट से संबंधित भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1643(अ), तारीख 29 सितंबर, 2006 का संशोधन करती है, अथात् :-

उक्त अधिसूचना में,—

(अ) पृष्ठ 2 पर "कार्यालय उपयोग के लिए" शीर्ष के अधीन ,—

(क) "उद्यम का प्रवर्ग" प्रविष्टि के स्थान पर "क्रियाकलाप की प्रकृति" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) "(सूक्ष्म-1, लघु-2, मध्यम--3)" प्रविष्टि के ऊपर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : -
"उद्यम का प्रवर्ग";

(आ) " भाग 1 (आशय की अभिव्यक्ति के लिए भरा जाना है)" शीर्ष के अधीन ,-

(क) पृष्ठ 4 पर क्रम सं. 6 में निम्नलिखित का लोप किया जाएगा, अर्थात्:-

" (iii) अन्य ☐

अन्य की दशा में कृपया विनिर्दिष्ट करें

---";

(ख) पृष्ठ 7 पर "अभिस्वीकृति सूचना" उप-शीर्ष के अधीन,-

(i) "मैसर्स----------, ने प्रारूप सं.----------" के साथ आरंभ होने वाले और " उद्यमी ज्ञापन फाइल किया है" के साथ समाप्त होने वाले प्रारंभिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

' "भाग-1 "

मैसर्स ----------ने नीचे उपदर्शित मद/मदों के लिए ----------
पते ----------
पिन----------पर एक ---------- (विनिर्माण/सेवा) उद्यम की स्थापना करने का अपना आशय अभिव्यक्त करते हुए ज्ञापन फाइल किया है और प्रारूप सं.----------तथा आवंटित उद्यमी ज्ञापन सं. में यथा कथित ---------- (तारीख) से क्रियाकलाप प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है जो निम्नानुसार है :

विनिर्मित की जाने वाली मद/मदों/प्रदान की जाने वाली सेवा के ब्यौरे ।

क्र.सं.	विनिर्माण की मदें/की जाने वाली सेवा के प्रकार	विनिर्माण की दशा में क्षमता
1.		

IndiaCode

2.

3.

4.

5.

6.

(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त सीट लगा दें)

टिप्पणः इस अभिस्वीकृति का जारी किया जाना कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। उद्यम को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की विधियों/न्यायालय आदेशों के अधीन नियत कानूनी बाध्यता के अधीन अपेक्षित अनापत्ति/अनुज्ञप्ति /परमिट प्राप्त करना अपेक्षित है' ;।

(ii) "इकाई का प्रवर्ग" प्रविष्टि के स्थान पर "क्रियाकलाप की प्रकृति" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) "(सूक्ष्म-1, लघु-2, मध्यम--3)" प्रविष्टि के ऊपर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : -

"उद्यम का प्रवर्ग";

(iv) उद्यमी ज्ञापन संख्या के बक्सों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" भाग-1 ";

(इ) भाग 2 शीर्ष के अधीन ,--

(क) पृष्ठ 10 पर क्रम सं. 6 में निम्नलिखित का लोप किया जाएगा, अर्थात्:-

" (iii) अन्य

अन्य की दशा में कृपया विनिर्दिष्ट करें

---";

(ख) पृष्ठ 13 पर "शपथ पत्र " उप-शीर्ष के अधीन "यह प्रमाणित किया जाता है " के साथ आरंभ होने वाले और "सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"यह प्रमाणित किया जाता है कि प्ररूप संख्या.....में ज्ञापन में दी गई सूचना ठीक है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है । मैंने /हमने कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के संबद्ध मंत्रालय/विभाग/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से अनुमोदन/सहमति /अनुज्ञप्ति/परमिट अभिप्राप्त कर लिया है ।";

(ग) पृष्ठ 13 पर "अभिस्वीकृति" उप-शीर्ष के अधीन,--

(i) " मैसर्स---------- ने प्रारूप सं.----------" के साथ आरंभ होने वाले और " उद्यम की स्थापना कर ली है" के साथ समाप्त होने वाले प्रारंभिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" " भाग-2"

मैसर्स ----------ने नीचे उपदर्शित मद /मदों के लिए ---------- पते----------पिन---------- पर एक ---------- (विनिर्माण/सेवा) उद्यम फाइल किया है और प्ररूप संख्या ---------- तथा आबंटित उद्यमी ज्ञापन सं. में यथा कथित---------- ----------(तारीख) से क्रियाकलाप प्रारंभ किया है जो निम्नानुसार है :

विनिर्मित की जाने वाली मद/मदों/प्रदान की जाने वाली सेवा के ब्यौरे ।

क्र.सं.	विनिर्माण की मदें/की जाने वाली सेवा के प्रकार	विनिर्माण की दशा में क्षमता
1.		

2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त सीट लगा दें)

टिप्पणः इस अभिस्वीकृति का जारी किया जाना कोई विधिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। उद्यम को केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की विधियों /न्यायालय आदेशों के अधीन नियत कानूनी बाध्यता के अधीन अपेक्षित अनापत्ति /अनुज्ञप्ति /परमिट प्राप्त करना अपेक्षित है ।' ;

(ii) "इकाई का प्रवर्ग" प्रविष्टि के स्थान पर "क्रियाकलाप की प्रकृति" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) "(सूक्ष्म-1, लघु-2, मध्यम–3)" प्रविष्टि के ऊपर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : -

"उद्यम का प्रवर्ग";

(iv) उद्यमी ज्ञापन संख्या के बक्सों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" | भाग-2 | "।

[फा. सं. 2(10)/2006-एमएसएमई नीति]

जवाहर सरकार, अपर सचिव

9721 GI/07-2

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2007

S.O. 941(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) herein referred to as the said Act, the Central Government, after obtaining the recommendations of the Advisory Committee in this behalf, hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 1643 (E), dated the 29th September, 2006 relating to the format for Entrepreneurs' Memorandum for setting up Micro, Small and Medium Enterprise , namely:-

In the said notification,-

(A) Under the heading "FOR OFFICE USE ONLY" at page 16,-

(a) for the entry "CATEGORY OF ENTERPRISE", the entry "NATURE OF ACTIVITY" shall be substituted ;

(b) above the entry "(MICRO-1, SMALL-2, MEDIUM-3)", the following entry shall be inserted, namely:-

"CATEGORY OF ENTERPRISE";

(B) Under the heading "PART I (To be filled in as expression of intent)",-

(a) in serial no.6, at page 18, the following shall be deleted, namely:-

"(iii) OTHERS ☐

In case of others, please specify

---";

(b) Under the sub-heading "ACKNOWLEDGEMENT" at page 22,-

(i) for the opening paragraph beginning with "M/s HAS FILED MEMORANDUM" and ending with "MEMORANDUM NO. AS BELOW:", following shall be substituted, namely:-

" PART-I"

M/S. HAS FILED MEMORANDUM EXPRESSING ITS INTENT TO SET UP A (MANUFACTURING/SERVICE) ENTERPRISE AT THE ADDRESS PIN FOR THE ITEM/ITEMS INDICATED BELOW AND THE ACTIVITY IS PROPOSED TO COMMENCE FROM THE (DATE) AS STATED IN FORM

NO.....AND ALLOCATED ENTREPRENEURS' MEMORANDUM NO. AS BELOW:

DETAILS OF ITEM/ITMES TO BE MANUFACTURED/SERVICE TO BE PROVIDED.

Sl. No.	Items of Manufacture/type of service to be rendered	Capacity in case of manufacture
1		
2		
3		
4		
5		
6		

(ADD ADDITIONAL SHEET IF REQUIRED)

NOTE: THE ISSUE OF THIS ACKNOWLEDGEMENT DOES NOT BESTOW ANY LEGAL RIGHT. THE ENTERPRISE IS REQUIRED TO SEEK REQUISITE CLEARANCE/LICENCE/ PERMIT REQUIRED UNDER STATUTORY OBLIGATION STIPULATED UNDER THE LAWS OF CENTRAL GOVERNMENT/STATE GOVERNMENT/UT ADMINISTRATIONS/COURT ORDERS'.;

(ii) for the entry "CATEGORY OF THE UNIT", the entry "NATURE OF ACTIVITY" shall be substituted ;

(iii) above the entry "(MICRO-1, SMALL-2, MEDIUM-3)" following entry shall be inserted, namely:-

"CATEGORY OF ENTERPRISE";

(iv) after the boxes for the ENTERPRENEURS' MEMORANDUM NUMBER, the following shall be inserted, namely:-

"**PART-I**";

(C) Under the heading PART II,-

(a) In serial number 6, at page 25, the following shall be deleted, namely:-

"(iii) OTHERS ☐

In case of others, please specify

---";

(b) under the sub-heading, "Undertaking", at page 28, for the words beginning with "This is to certify" and ending with "my knowledge and belief", the following shall be substituted, namely:-

"This is to certify that the information furnished in the Memorandum in Form No.is true and correct to the best of my knowledge and belief. I/we have obtained approval/consent/license/permit from the concerned Ministry/Department of Central Government/State Government/UT Administration as per statutory requirements.";

(c) under the sub-heading "ACKNOWLEDGEMENT" at page 29,-

(i) for the opening paragraph beginning with "M/s HAS FILED MEMORANDUM" and ending with "EM NO. AS BELOW:", following shall be substituted, namely:-

' " **PART-II"**

M/S. HAS FILED MEMORANDUM FOR A (MANUFACTURING/SERVICE) ENTERPRISE AT THE ADDRESS PIN FOR THE ITEM/ITEMS INDICATED BELOW AND THE ACTIVITY HAS COMMENCED FROM THE (DATE) AS STATED IN FORM NO.....AND ALLOCATED ENTREPRENEURS' MEMORANDUM NO. AS BELOW:

DETAILS OF ITEM/ITMES TO BE MANUFACTURED/SERVICE TO BE PROVIDED.

Sl. No.	Items of Manufacture/type of service to be rendered	Capacity in case of manufacture
1		
2		
3		
4		
5		
6		

(ADD ADDITIONAL SHEET IF REQUIRED)

NOTE: THE ISSUE OF THIS ACKNOWLEDGEMENT DOES NOT BESTOW ANY LEGAL RIGHT. THE ENTERPRISE IS REQUIRED TO SEEK REQUISITE CLEARANCE/LICENCE/PERMIT REQUIRED UNDER STATUTORY OBLIGATION STIPULATED UNDER THE LAWS OF CENTRAL GOVERNMENT / STATE GOVERNMENT/UT ADMINISTRATION /COURT ORDERS.';

(ii) for the entry "CATEGORY OF THE UNIT", the entry "NATURE OF ACTIVITY" shall be substituted;

(iii) above the entry "(MICRO-1, SMALL-2, MEDIUM-3)", following entry shall be inserted, namely:-

"CATEGORY OF ENTERPRISE";

(iv) after the boxes for the ENTERPRENEURS MEMORANDUM NUMBER, the following shall be inserted, namely:-

"**PART-II**".

[F. No. 2(10)/2006-MSME Policy]
JAWHAR SIRCAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode